



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-32/2024-1939/

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)

नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-22/07/2025

विषय:- महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जमुई के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹17,35,699/- (रुपये सत्रह लाख पैतीस हजार छः सौ निन्यानवे) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जमुई के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जमुई, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹17,35,699/- (रुपये सत्रह लाख पैतीस हजार छः सौ निन्यानवे) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0101-नये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010101 के विषय शीर्ष-0101-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

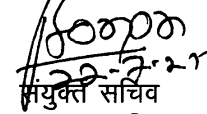
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जमुई होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, जमुई से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-32/2024-08/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वप्रभाजन

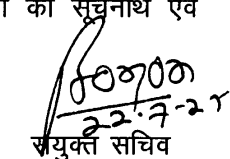


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-32/2024-1939

पटना, दिनांक-22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

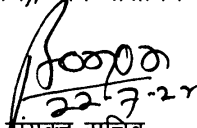


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

NK

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-32/2024...1939 पटना, दिनांक-22/07/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, जमुई /जिला कोषागार पदाधिकारी, जमुई / विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जमुई /प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जमुई/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


22-7-25
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-78/2024-1940/

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 22 / 07 / 2025

विषय:- महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि
₹ 5,82,274 /- (रुपये पांच लाख बेरासी हजार दो सौ चौहत्तर) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति
के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर, साउस बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹ 5,82,274 /- (रुपये पांच लाख बेरासी हजार दो सौ चौहत्तर) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0101-नये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010101 के विषय शीर्ष-0101-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, शेखपुरा से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-78/2024-09/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वप्रभाजन

1000000
22.7.25
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-78/2024-1940

पटना, दिनांक- 22 / 07 / 2025

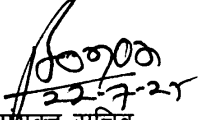
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1000000
22.7.25
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

NA

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-78/2024. 1940 पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर /जिला कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर / विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर /प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-06/2024-1941/

**बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग**

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)

नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



बिहार सरकार

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 22 / 07 / 2025

विषय:- महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औरंगाबाद के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹20,03,884 /- (रुपये बीस लाख तीन हजार आठ सौ चौरासी) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औरंगाबाद के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, औरंगाबाद, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹20,03,884 /- (रुपये बीस लाख तीन हजार आठ सौ चौरासी) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0101-नये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010101 के विषय शीर्ष-0101-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

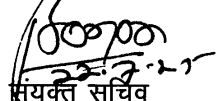
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औरंगाबाद होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, औरंगाबाद से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-06/2024-02/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

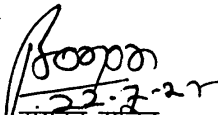
विश्वप्रभाजन


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-06/2024-1941

पटना, दिनांक- 22 / 07 / 2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

N/A

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-06/2024/१५१ पटना, दिनांक- २१/०७/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, गया/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद /जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/ विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, औरंगाबाद /प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औरंगाबाद/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


२२-७-२५
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-70/2024-1942/

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)

नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-22/07/2025

विषय:- महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रोहतास, सासाराम के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹ 12,64,524 /- (रुपये बारह लाख चौसठ हजार पाँच सौ चौबीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रोहतास, सासाराम के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सासाराम, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹ 12,64,524 /- (रुपये बारह लाख चौसठ हजार पाँच सौ चौबीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0101-नये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010101 के विषय शीर्ष-0101-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रोहतास, सासाराम होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, रोहतास से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-70/2024-09/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वसभाजन
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-70/2024-1942

पटना, दिनांक-22/07/2025

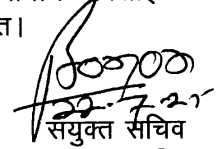
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

NR

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-70/2024/1942 पटना, दिनांक-22/07/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी, रोहतास/ जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास/ विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सासाराम/प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रोहतास, सासाराम/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-41/2024-1943/

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-22/07/2025

विषय:- महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लखीसराय के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹17,37,758/- (रुपये सतरह लाख सौतीस हजार सात सौ अन्ठावन) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लखीसराय के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, लखीसराय, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹17,37,758/- (रुपये सतरह लाख सौतीस हजार सात सौ अन्ठावन) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0101-नये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010101 के विषय शीर्ष-0101-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

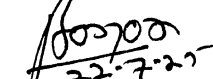
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लखीसराय होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, लखीसराय से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-41/2024-09/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

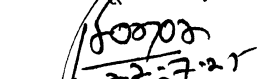
विश्वसभाजन


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-41/2024-1943

पटना, दिनांक-22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

M

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-41/2024.....1943 पटना, दिनांक-.....22/07/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/जिला कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय/ विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, लखीसराय/प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लखीसराय/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


22.7.25
अयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-36/2024.....1944/

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 22/07/2025

विषय:- महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कैमूर (भभुआ) के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹11,77,658/- (रुपये ग्यारह लाख सतहत्तर हजार छः सौ अन्ठावन) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कैमूर (भभुआ) के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, (भभुआ) कैमूर, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹11,77,658/- (रुपये ग्यारह लाख सतहत्तर हजार छः सौ अन्ठावन) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0101-नये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010101 के विषय शीर्ष-0101-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

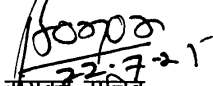
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कैमूर (भभुआ) होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, कैमूर से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-36/2024-09/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

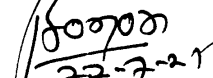
विश्वसभाजन


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-36/2024.....1944

पटना, दिनांक- 22/07/2025

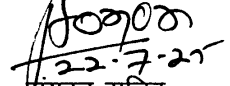
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

MG

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-36/2024.../१५५ पटना, दिनांक-...२२.../०७.../2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, कैमूर /जिला कोषागार पदाधिकारी, कैमूर
/ विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, कैमूर/प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्थान, कैमूर (भभुआ)/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट
शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन
विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


22-7-25
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-34/2024.....1945/

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-22/07/2025

विषय:- महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जहानाबाद के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹5,08,550/- (रूपये पाँच लाख आठ हजार पाँच सौ पचास) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जहानाबाद के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जहानाबाद, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹5,08,550/- (रूपये पाँच लाख आठ हजार पाँच सौ पचास) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0101-नये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010101 के विषय शीर्ष-0101-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

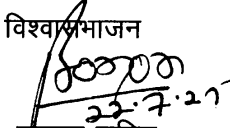
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जहानाबाद होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, जहानाबाद से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-34/2024-09/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

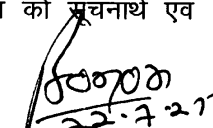
विश्वभोजन


22.7.25
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-34/2024.....1945

पटना, दिनांक-22/07/2025

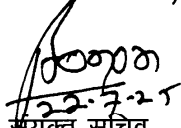
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


22.7.25
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

MS

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-34/2024.....1945 पटना, दिनांक-22/07/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, गया/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/जिला कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जहानाबाद/प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जहानाबाद/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


22-7-25
आयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-59/2024-1946/

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-22/07/2025

विषय:- महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेतिया के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹7,60,890/- (रुपये सात लाख साठ हजार आठ सौ नवे) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेतिया के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बेतिया, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹7,60,890/- (रुपये सात लाख साठ हजार आठ सौ नवे) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0101-नये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010101 के विषय शीर्ष-0101-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेतिया होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, बेतिया से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-59/2024-1946/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वनाथ भाजन

संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-59/2024-1946

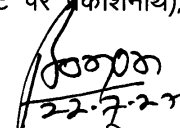
पटना, दिनांक-22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-⁵⁹~~32~~/2024/1946 पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण /जिला कोषागार पदाधिकारी, बेतिया / विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बेतिया / प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेतिया/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


22.7.25
आयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-79/2024.....1947/

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-22/07/2025

विषय:- महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शिवहर के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि
₹14,60,177/-(रुपये चौदह लाख साठ हजार एक सौ सतहत्तर) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति
के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शिवहर के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, शिवहर, नॉथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹14,60,177/-(रुपये चौदह लाख साठ हजार एक सौ सतहत्तर) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0101-नये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना विपत्र क्रोड-26-2230031010101 के विषय शीर्ष-0101-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

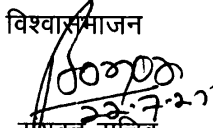
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शिवहर होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, शिवहर से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-79/2024-02/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

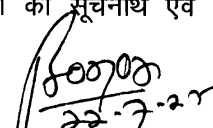
विश्वासभाजन


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-79/2024.....1947

पटना, दिनांक-22/07/2025

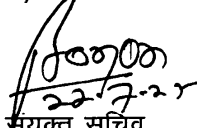
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

M/S

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-79/2024/947 पटना, दिनांक-22/07/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, शिवहर/जिला कोषागार पदाधिकारी, शिवहर/ विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, शिवहर/प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शिवहर/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-72/2024-1948/

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-22/07/2025

विषय:- महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹6,08,416/- (रूपये छः लाख आठ हजार चार सौ सोलह) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सहरसा, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹6,08,416/- (रूपये छः लाख आठ हजार चार सौ सोलह) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0101-नये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010101 के विषय शीर्ष-0101-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

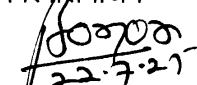
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, सहरसा से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-72/2024-09/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

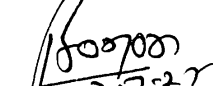
विश्वनाथभाजन


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-72/2024-1948

पटना, दिनांक-22/07/2025

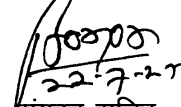
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

MO

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-72/2024.....1948 पटना, दिनांक-22/07/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, कोसी/जिला पदाधिकारी, सहरसा/जिला कोषागार पदाधिकारी, सहरसा/ विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सहरसा/प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा /मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


22-7-25
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।